

(4)

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या - 56/2018

अनवान

1. श्री हुंसा पिता कसना गमेती/भील निवासी कितावतो का वास तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

1. श्री माना पिता धना खराडी निवासी कितावतो का वास तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री छगन पिता माना खराडी निवासी कितावतो का वास तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री वाला पिता माना खराडी निवासी कितावतो का वास तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री मोहन पिता माना जी खराडी निवासी कितावतो का वास तहसील झाडोल(फ.) जिला उदयपुर (राज.)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक:-05.03.2020

आदेश

प्रार्थी की ओर से जरिये श्री भज्जालाल पटेल एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा कितावतो का वास पटवार क्षेत्र गेजवी भू-अभिलेख निरीक्षक श्रेत्र ओगणा तह- झाडोल (फ.) जिला उदयपुर राज0 के आराजी नम्बर 828, 887, 888, 890, 898, 899, 900, 901, 902 कुल किता, कुल रकबा 1.60, कुल लगान 4.99 रूपया भूमि प्रार्थी की खातेदारी की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की है और विपक्षीगण आराजियात जैर बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई चिन्ह स्थापित किये जावें। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबंदी प्रस्तुत किया गया। इस पर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आराजियात जैर बहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमाज्ञान (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. रा. अधि. 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झाडोल को सीमाज्ञाना (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है।



अक्षय
कलक्टर
झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को जरिये तहसीलदार झाडोल के प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश किया जाता है कि मौजा कितावतों का वास पटवार क्षेत्र गेजवी भू अभिलेख निरीक्षक ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर राज0 के आराजी नम्बर 828, 887, 888, 890, 898, 899, 900, 901, 902 कुल किता, कुल रकबा 1.60, कुल लगान 4.99 रूपया की फरीकेन मुकदमा को सुचित किया जा कर उनकी उपस्थित में बन्दोबरती नक्शे अनुसार नपती की जा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी की जावें एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा ट्रेस 7 योम मे इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



Amhay
(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलेक्टर
झाडोल (जि.) जिला उदयपुर
जिला उदयपुर